रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2007 (भाद्रपद 17, 1929)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8—SEPTEMBER 14, 2007 (BHADRA 17, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 897

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 899

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1341

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 4165

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 617

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 10813

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 623

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 897

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 899

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1341

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 4165

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 617

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 10813

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 623

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2007

संकल्प

सं. 5(3)/2004-डी-I (.)--इस्पात मंत्रालय ने 24 मार्च, 2006 के अपने समसंख्यक संकल्प के तहत् पुनर्गठित इस्पात उपभोक्ता परिषद् का कार्यकाल दिनांक 20 नवम्बर, 2006 के अपने समसंख्यक संकल्प सं. 5(3)/2004-डी-I के अंतर्गत बढ़ा दिया है। 15 मई, 2006 के समसंख्यक संकल्प के तहत् इस्पात उपभोक्ता परिषद् में सदस्य के रूप में नामित श्री श्यामलाल गौतम, दुर्ग 163, सुंदर भवन, न्यू खुशीपार, भिलाई, दुर्ग (छत्तीसगढ़) का नामांकन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कुमार अरविन्द सिंह देव
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. एफ.9-19/2005-यू.-3--जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षण की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, तमिलनाडु को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव की जांच की है और दिनांक 1 फरवरी, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ-6-28/2005 (सी.पी.पी.-1) सिफारिश की है कि मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, चेन्नई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत् सम-विश्वविद्यालय घोषित किया जाए;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, तमिलनाडु को नई श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर अस्थाई रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है।

(i) मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, कनातूर, तमिलनाडु के कार्यकरण तथा निष्पादन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से वार्षिक समीक्षा करेगा। पांच वर्ष की अवधि के बाद अकादमी को दिए जाने वाला 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समीक्षा समिति की निष्पादन रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा।

(ii) उपर्युक्त घोषणा उस तिथि से लागू होगी जिस तिथि से मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी अपने को उन भारतीय विश्वविद्यालयों से अलग करता है जिसके अंतर्गत यह विस्तार केन्द्र या अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

(iii) यह तत्काल प्रभाव से सांविधिक परिषदों तथा मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, में उनके द्वारा आयोजित किए जाने के प्रयोजनार्थ अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा यथवत अनुमोदित पूर्ण रूप से सुसज्जित डिग्री कार्यक्रम आरंभ करेगी।

5. उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

6. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय मेरीटाइम शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2007

संकल्प

सं. 41-2/2002-संस्कृत-1--भारत सरकार के दिनांक 09.08.2006 के संकल्प संख्या 41-2/2002-संस्कृत-1 के अनुसरण में एतद्द्वारा दिनांक

24.8.2007 से केन्द्रीय संस्कृत परिषद् का गठन करने का संकल्प किया जाता है, जो इस प्रकार है :--

1. मानव संसाधन विकास मंत्री — अध्यक्ष (पदेन)

2. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष (पदेन)

3. गैर सरकारी सदस्य

3(क) संस्कृत विद्वान

(i) प्रो. मानबेन्दु बैनर्जी — सदस्य
सेवानिवृत्त संस्कृत के प्रोफेसर
जाधवपुर विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल

(ii) प्रो. रमा रंजन मुखर्जी — सदस्य
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित
125/1, संतोषपुर ऐवेन्यु
कोलकाता
पश्चिम बंगाल-700075

(iii) प्रो. श्रीनिवास रथ — सदस्य
18, कालीदास मार्ग,
उज्जैन, मध्यप्रदेश-456010

(iv) डॉ. चन्द्रगुप्त वारनेकर — सदस्य
संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा
संस्कृत भवनम
नं. 2, पश्चिम हाई कोर्ट रोड,
नागपुर, महाराष्ट्र

(v) प्रो. एम. शिव कुमार स्वामी — सदस्य
नं. 88, चौथी क्रास, डायग्नल रोड,
आठवीं मेन रोड, आर.पी.सी. लेआउट
विजयनगर, सेकेन्ड स्टेज
बैंगलौर, कर्नाटक-560040

(vi) प्रो. एस. जी. कांटेवाला, — सदस्य
श्रीराम, कांटेश्वर महादेव का गोल
बाजवाडा, बडोदरा, गुजरात-390001

(vii) प्रो. गौतम भाई पटेल — सदस्य
वोलोन-एल-III, स्वतंत्रता सेनानी नगर,
नवी वाडाज, अहमदाबाद
गुजरात-380013

(viii) श्री रमेश भट्टाचार्यजी — सदस्य
163/1, वी. आई. पी. रोड
कोलकाता,
पश्चिम बंगाल-700054

3(ख) पाली विद्वान

(i) प्रो. एन. के. पंत — सदस्य
निदेशक, नव नालन्दा महा विहार
नालन्दा, पटना
बिहार

3(ग) प्राकृत विद्वान

(i) प्रो. एस. पी. पाटिल — सदस्य
धवल, हिरमल नगर
11, स्टेशन रोड, पो.आ.-धारवाड-3
कर्नाटक

4. पदेन सदस्य

(i) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

(ii) देश के सभी संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति।

(iii) उपाध्यक्ष, महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन।

(iv) निदेशक, भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे।

(v) राज्य संस्कृत अकादमियों की संख्या की कुल संख्या से आधी अकादमियों के अध्यक्ष अथवा निदेशक।

(vi) निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।

(vii) अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली।

(viii) निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।

(ix) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव/संयुक्त सचिव।

(x) वित्त सलाहकार, उच्चतर शिक्षा विभाग।

(xi) पूर्ण रूप से संस्कृत को समर्पित केन्द्रीय सम विश्वविद्यालयों के कुलपति।

(xii) प्रो. वी. कुटुम्ब शास्त्री, — सदस्य सचिव
कुलपति,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,
56-57 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जनकपुरी, नई दिल्ली-58

2. कार्यकाल

परिषद् में नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परिषद् की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा इसकी बैठक आदि के संबंध में कार्यविधि परिषद् द्वारा स्वयं तय की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रियों तथा विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

केशव देसिराजु
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 7th August 2007

RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumers' Council of Ministry of Steel regarding.

No. 5(3)/2004-D-I (.).—Ministry of Steel through its Resolution No. 5(3)/2004-DI dated 20th November, 2006 has extended the terms of Steel Consumer Council reconstituted vide its Resolution of even number dated 24th March, 2006. The nomination of Shri Shyam Lal Gautam, Durg 163, Sunder Bhawan, New Khushipar, Bhilai, Durg (Chhatisgarh), made as member Steel Consumers' Council vide Resolution of even number dated 15th May, 2006 is hereby cancelled from Steel Consumer Council with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumer's Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

KUMAR ARVIND SINGH DEO
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 21st August 2007

No. F. 9-19/2005-U.3.—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, a proposal was received for grant of status of deemed-to-be-university to Academy of Maritime Education and Training (AMET), Kanathur, Tamil Nadu.

3. And whereas, the University Grants Commission have examined the said proposal and vide their communication No. F.6-28/2005 (CPP-I) dated the 1st February, 2007 have recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Academy of Maritime Education and Training, Kanathur, Chennai, under Section 3 of the UGC Act, 1956.

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that 'Academy of Maritime Education and Training', Kanathur, Tamil Nadu shall be deemed to be a universiry, under de novo category, for the purpose of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, subject to the following conditions :—

(i) The functioning of the AMET as well as its performance shall be reviewed annually by the UGC through its Expert Committee. After the period of five years, the status of 'Deemed to be University' conferred upon the Academy will be confirmed on the basis of performance reports the Expert Review Committee of the UGC.

(ii) The declaration as made above will take effect from the date on which the AMET disassociates itself from the Indian universities under whom it is functioning as Extension Centre of Programme Study Centre.

(iii) It should immediately start its own full-fledged academic degree programmes, duly approved by the Statutory Councils and other concerned authorities for the purpose of being conducted at the AMET on its own.

5. The declaraion made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 5 of the endorsement to this Notification.

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to the AMET or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

New Delhi, the 24th August 2007

RESOLUTION

No. 41-2/2002-Skt.-I.—In pursuance of Government of India Resolution No. 41-2/2002-Skt.-I dated 09.08.2006, it is hereby resolved to constitute the Rashtriya Sanskrit Parishad with effect from 24.08.2007 as follows :—

1.	Minister for Human Resource Development	Chairman (ex-officio)
2.	Minister of State for Human Resource Development	Vice Chairman (ex-officio)
3.	Non-official Members	
3(a)	Scholar of Sanskrit	
i.	Prof. Manabendu Banerjee, Retd. Professor in Sanskrit, Jadavpur University, West Bengal.	Member
ii.	Prof. Rama Ranjan Mukherji, President Awardee, 125/1, Santoshpura Avenue, Kolkata, West Bengal-700075	Member
iii.	Prof. Srinivas Rath, 18, Kalidasa Marg, Ujjain, Madhya Pradesh-456010.	Member

iv. Dr. Chandragupt Warnekar, Member
Sanskrit Bhasha Prasharini Sabha,
Sanskrit Bhawanam,
No. 2, West High Court Road,
Nagpur,
Maharashtra

v. Prof. M. Shiv Kumar Swamy, Member
No. 88, 4th Cross, Diagonal Road,
8th Main Road, R.P.C. Layout,
Vijayanagar, 2nd Stage,
Bangalore,
Karnataka-560040

vi. Prof. S.G. Kantawala, Member
Shriram, Kantgeshwar Mahadev's Gole,
Bajwada, Vadodara,
Gujarat-390001

vii. Prof. Gautam Bhai Patel, Member
Volom-L III, Swatantrata Senani Nagar,
Navi Wadaj, Ahmedabad,
Gujarat-380 013

viii. Shri Ramesh Battacharjee, Member
163/1, V.I.P. Road,
Kolkata,
West Bengal-700 054

3(b) Scholar of Pali

(i) Prof. N. K. Pant, Member
Director,
Nav Nalanda Maha Vihar,
Nalanda, Patna,
Bihar.

3(c) Scholar of Prakrit

(i) Prof. S. P. Patil, Member
Dhaval, Hirmal Nagar,
11, Station Road, P.O. Dharwa-3,
Karnataka

4. Ex officio Members

(i) Chairman, University Grant Commission.
(ii) Vice Chancellors of all Sanskrit Universities of the Country.
(iii) Vice Chairman, Maharshi Sandipani Ved Vidya Pratishthan, Ujjain.
(iv) Director, Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune.
(v) Chairman or Directors of half the number of State Sanskrit Academies, nominated by rotation.
(vi) Director, NCERT
(vii) Chairman, NCTE
(viii) Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore.
(ix) Secretary, Department of Higher Education or an Additional/Joint Secretary nominated by him.
(x) Financial Advisor, Department of Higher Education.
(xi) Vice Chancellors of Central Deemed Universities working exclusively or primarily for Sanskrit.
(xii) Prof. V. Kutumba Sastry, Member-Secretary
Vice-Chancellor,
Rashtriya Sanskrit Sansthan,
56-57, Institutional Area,
Janakpuri,
New Delhi-110 058.

2. Tenure

The term of the nominated members of the Parishad shall be three years. The Parishad shall meet at least once every year and shall devise its own procedure in regard to its meetings etc.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory administrations. Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be publihsed in the Gazette of India for general information.

KESHAV DESIRAJU
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007